ISSN - 2231-1130
वर्ष–षष्ठम् ; सितम्बर–2015

भारतेन्दु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता और भारतबन्धु

अरुण कुमार सिंह*

सन् 1857 के बाद हिन्दुस्तान में जिस नई चेतना की लहर दौड़ी उससे हिन्दी प्रदेश भी अनुप्राणित हुआ। हिन्दी प्रदेश के बौद्धिकों ने नई चेतना से लैस होकर अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कमर कसी। इन बौद्धिकों में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र सर्वोपरि हैं। हिन्दी साहित्य को उन्होंने रीतिकाल के मध्यकालीन चौखटे से निकालकर आधुनिक काल के रास्ते पर दौड़ा दिया था। बौद्धिक चेतना के प्रस्फुटन के लिए हिन्दी साहित्य को उन्होंने हर तरफ की पीठिका प्रदान की जिस पर चलकर आज हिन्दी साहित्य समृद्ध हुआ है। इस कार्य के लिए उन्होंने व्यापक हिन्दी प्रदेश साहित्यकारों को एकजुट करने का भी सफल कार्य किया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भारतेन्दु के इस कार्य का मूल्यांकन करते हुए लिखा है–''हरिश्चन्द्र के जीवन–काल में ही लेखकों और कवियों का एक खासा मण्डल चारों ओर तैयार हो गया। उपाध्याय पं0 बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमचन्द, प्रतापनारायण मिश्र, तोताराम, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, पं0 बालकृष्ण भट्ट, पं0 केशवराम भट्ट, पं0 अम्बिकादत्त व्यास, पं0 राधाचरण गोस्वामी इत्यादि कई प्रौढ़ और प्रतिभाशाली लेखकों ने हिन्दी साहित्य के इस नूतन कार्य में योग दिया।''[1]

भारतेन्दु मण्डल के बाबू तोताराम अलीगढ़ के नामी वकील थे। मण्डल के सारे सदस्य हिन्दी के विकास के लिए कृत संकल्प थे। इसके लिए उन्होंने अपने–अपने शहरों से पत्रिकाएँ निकालकर न केवल लेखकों की फौज खड़ी कर दी, बल्कि नित्य नवीन सूचनाओं, भावनाओं एवं विचारों से जनता के बीच नवीन विचारों का प्रचार–प्रसार किया। जनता को देश की दशा से परिचित कराने के साथ उन्हें ज्ञान–विज्ञान के विकास और स्वतंत्रता

* हिन्दी प्रवक्ता, हीरालाल बारहसैनी इण्टर कालेज,अलीगढ़।

की लड़ाई में भाग लेने के लिए तैयार करना भी इनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतेन्दु मण्डल के सदस्यों ने पत्रिकाएँ निकाली थीं। बाबू तोताराम वर्मा ने 1877 ई0 में अलीगढ़ में ही ''भारत बन्धु'' पत्र निकाला और भारत बन्धु प्रेस स्थापित किया। तब से लगातार बारह वर्षों तक इसका प्रकाशन होता रहा।

'भारत बन्धु' साप्ताहिक पत्र था और प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित होता था। भारतेन्दु युग की पत्रकारिता की एक विशेषता पत्र के मुख्य पृष्ठ पर उसके उद्देश्य के साथ किन विषयों से सम्बन्धित उसमें लेख और विचार छपने हैं– उसका पूरा विवरण दिया जाता था। 'भारतबन्धु' के प्रथम पृष्ठ पर निम्नांकित बातें छपती थीं–

प्रथम पृष्ठ पर ही पत्रिका का मोटो संस्कृत और हिन्दी में भी छपते थे–

गमयुत जनमोहं सच्चिदानंद रूपः। वितरतु भवमुक्ति वासना संघतापः

स भवतु मम पत्र ग्राहिणां विश्वगोपः। प्रहैरतु हृदयस्थध्वान्तमन्तः प्रदीपः।।

विद्या बुधि नयनीतिमय पावन परम उदार।

दिन दिन भारत बन्धु यह करहु देश उपकार।।

प्रारम्भ में यह पत्रिका आठ पृष्ठों में प्रकाशित होती थी। प्रत्येक पृष्ठ सामान्यतः 3 कॉलमों में विभाजित होता था। 1 सितम्बर, 1882 से इसके पृष्ठों की संख्या 12 कर दी गई जिसमें 6 पृष्ठ हिन्दी के लिए निर्धारित किये गये थे और 6 पृष्ठ हिन्दी–अंग्रेजी के लिए। इससे स्पष्ट है कि यह पत्रिका द्विभाषिक थी।[2]

भारतेन्दु युग की पत्रिकाओं में समसामयिक विषयों पर सम्पादकीय टिप्पणियाँ लिखकर सम्पादक अपनी प्रतिक्रिया जाहिर किया करते थे। ये टिप्पणियाँ समाज सुधार, ज्ञान–विज्ञान, साहित्य, राजनीति आदि विभिन्न विषयों से सम्बन्ध रखती थीं। भारतबन्धु में प्रकाशित एक टिप्पणी लार्ड लिटन

के भारत छोड़ने पर 12 मई 1980 के अंक में 'श्रीमान् लार्ड लिटन का राज्याधिकार त्यागना' शीर्षक से छपी थी।[3] सम्पादक ने अपनी इस टिप्पणी में लिखा था कि –''बहुत से लोग लार्ड लिटन को यह दोष देते हैं कि उन्होंने प्रेस एक्ट जारी किया किन्तु प्रेस एक्ट से देश को कोई हानि नहीं हुई। यह तो हमारे शील को सुधारने की नई युक्ति निकल आयी क्योंकि हमारे स्वदेशी पत्रों में ऐसी–ऐसी भद्दी बातें लिख दी जाती थीं कि विदेश के लोग हमारी विद्या और बुद्धि पर आक्षेप करते थे।''[4]

तत्कालीन पत्र –पत्रिकाओं में दूसरी पत्र –पत्रिकाओं की भी नोटिस ली जाती थी और टीका–टिप्पणी भी होती थी। कलकत्ते से प्रकाशित 'सार–सुधानिधि' ने उपर्युक्त टिप्पणी पर 'भारतबन्धु की अदूरदर्शिता' नामक लम्बा लेख लिखा (सार–सुधानिधि 31 मई 1880 ई0 पृष्ठ 88–90) 'भारतबन्धु ने इसका जबाव 'सार–सुधानिधि की स्वाभाविक सौम्यता' शीर्षक से दिया था, ...

आपको मेरे लेख से विदित हुआ हो या ना हुआ हो, परन्तु अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि प्रेस एक्ट का मैं पक्षपाती या अनुमोदन करने वाला नहीं हूँ। मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूँ, आप उसको एक और दृष्टि से देखते हैं। कौन सा मनुष्य होगा जो स्वतन्त्रता की अभिलाषा नहीं रखता और दत्त स्वतन्त्रता का छिन जाना किसको बुरा नहीं लगता।[5]

भारतेन्दु युग की मूल चेतना देश–भक्ति के साथ–साथ राजभक्ति की भी रही है इससे स्वयं भारतेन्दु भी अछूते नहीं थे किन्तु प्रेस एक्ट तत्कालीन पत्र–पत्रिकाओं के लिए मृत्यु का संदेश लेकर आया था। तत्कालीन पत्र–पत्रिकाओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। इस एक्ट की सबसे खतरनाक बात प्रशासन द्वारा किसी भी पत्र –पत्रिका को राजद्रोही करार देकर सम्पादक और लेखक को जेल में डाल देना और जुर्माना वसूल करना था। इन सबसे बचने के लिए ही तत्कालीन पत्र–पत्रिकाओं के सम्पादक दबे–छुपे स्वरों में प्रेस एक्ट की आलोचना के साथ अंग्रेजी राज की प्रशंसा भी कर दिया करते थे। वस्तुतः तोताराम वर्मा की 'भारतबन्धु' में

प्रकाशित इस टिप्पणी को युग के अर्न्तविरोध के साथ मिलकर ही देखा जाना चाहिए।

'भारतबन्धु' में लेख, कविता, उपन्यास आदि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक रचनाएं छपती थीं। पं0 सालग्राम कृत 'मालती–माधव' की कथा' तथा मोहम्मद शेर खाँ की लिखी 'कीर्ति –चन्द्रिका' नामक कथा भारतबन्धु' के अंकों में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी।[6]

'भारतबन्धु' के प्रसिद्ध लेखकों में श्री राधाचरण गोस्वामी का नाम अग्रगण्य है। गोस्वामी जी का 'उपन्यास' शीर्षक लेख और बंगला से अनूदित 'बिराज बहू' उपन्यास भी छपा था। इनके अतिरिक्त उनके अनेक पत्र भी 'भारतबन्धु' में प्रकाशित हुए थे।[7]

भारतेन्दु युगीन पत्रिकाओं में 'पुस्तक समीक्षा' का भी स्तम्भ हुआ करता था। बहुधा यह 'प्राप्ति स्वीकार' शीर्षक के रूप में स्थान पाता था। यह न तो समालोचना होती थी और न ही पुस्तक समीक्षा। पुस्तक पर सम्पादक अपनी राय जाहिर कर देता था। पुस्तक की विषय वस्तु उसका मूल्य और पाठकों को यह सम्मति कि पुस्तक पढ़ने लायक है या नहीं, यही इस स्तम्भ का उद्देश्य हुआ करता था। 'भारतबन्धु में भी पुस्तकों के प्राप्त होने की ऐसी ही सूचना दी जाती थी यथा–

''हमारे परम मित्र मुकुन्द राय, मित्र विलास सम्पादक की भेजी हुई, ''भारतवर्ष में विख्यात नारियों के जीवन चरित्र' नामी पुस्तक हमको प्राप्त हुई। धन्यवाद पूर्वक हम उसको स्वीकार करते हैं।................. हमने उसको आद्योपान्त नहीं देखा इस हेतु इस सप्ताह में उसकी समालोचना प्रकाशित नहीं कर सकते, परन्तु इतना कह सकते हैं कि विषय और लेख अवलोकन करने से प्रकट में तो पुस्तक उत्तम मालूम देती है।[8]

'भारतबन्धु' में देश–विदेश और स्थानीय समाचारों को भी प्रमुखता से छापा जाता था। विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं से भी ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न समाचार भी प्रकाशित किये जाते थे। 'भारतबन्धु' में विज्ञापन भी छपते थे जिनमें अधिकांशतः वर्मा जी की ही पुस्तको ंका ही विज्ञापन होता था।

भारतेन्दु युगीन पत्रकारिता देश–सेवा और समाज सेवा की भावना से ओत–प्रोत होती थीं। भारतेन्दु युगीन पत्रकार व्यक्तिगत हानि सहकर भी साहित्य सृजना में लगे रहते थे। स्वयं भारतेन्दु ने अपनी सारी सम्पत्ति इसी में लगा दी। तोताराम वर्मा भी ऐसे ही साहित्य और समाज सेवक थे। उन्हें भी 'भारतबन्धु' के प्रकाशन में अत्यधिक आर्थिक हानि उठानी पड़ी। इन्होंने अपने इस आर्थिक संकट के बारे में सार–सुधानिधि कलकत्ता से निकलने वाले पत्र को अपनी व्यथा कथा निम्न शब्दों में व्यक्त की थी–

प्रिय बन्धो! आजकल इस देश के भरोसे पर कोई काम नहीं चल सकता। यहाँ के निवासी स्वदेश की भलाई में व्यय करना नहीं जानते इनको तो मूर्खता और चापलूसी में व्यय करना भली–भांति आता है। हम जितने राजा–महाराजा रईस और धनिक लोगों की सेवा में गये सब स्थान आदर और श्रद्धा से शून्य पाये। आपका तो महाराणा उदयपुराधीश ने कुछ सत्कार भी किया। हमसे तो किसी राजा या महाधनी का सादर स्पर्श भी नहीं हुआ। यह वह देश है जिसका नमस्कार पूर्वक परित्याग करना चाहिए, आपको विदित होगा कि यदि मेरे स्वामी मुझको केवल निजाश्रय पर सजीव रखते तो मुझको भी धीरज छोड़कर अर्न्तध्यान होना पड़ता है। अनेक सहस्त्रा मुद्रा मेरी मुद्रण सामग्री संग्रह करने में व्यय हुई और जन्मावधि से आज तक असंख्य धन हानि हुई और आगे होने की सम्भावना है, और न किसी ने हमारी विशेष सहायता की और न आगे कुछ आशा है, तथापि हमने उत्साहहीन होना उचित न समझा है। ....'[9]

आर्थिक हानि सहकर भी तोताराम 'भारतबन्धु' निकालकर देश सेवा और हिन्दी साहित्य की सेवा करते रहे। आखिरकार तेरह वर्षों तक निकलकर 1890 में 'भारतबन्धु' बन्द हो गया।

सन्दर्भ –

1. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, नागरी प्रचारणी सभा काशी 29वां संस्करण संवत् 2051 विक्रम (पृष्ठ संख्या 252)

2. डॉ0 बालकृष्ण राव, हिन्दुस्तानी त्रैमासिकी। हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद संवत् जुलाई से सितम्बर 1970 पृष्ठ संख्या 156 भाग 31
3. पूर्ववत, पृष्ठ संख्या 157
4. पूर्ववत, पृष्ठ संख्या 158
5. पूर्ववत, पृष्ठ संख्या 158
6. पूर्ववत, पृष्ठ संख्या 159
7. पूर्ववत, पृष्ठ संख्या 159
8. 'भारतबन्धु' 18 जून 1880 पृष्ठ 3 हिन्दुस्तानी भाग 31 अंक 3–4 पृष्ठ संख्या 160 से उद्धत
9. हिन्दुस्तानी अंक 3–4 पृष्ठ संख्या 161 से